(छावनी बोर्ड डगशाई)

सार्वजनिक नोटिस

(डगशाई छावनी में बोरवेल की खुदाई और उपयोग के लिए मसौदा विनियम)

क्रमांक सीबीडी/3/7/बोर वेल/-1452

दिनांक 28 दिसम्बर 2023

1. डगशाई छावनी में बोरवेलों की खुदाई और उपयोग के लिए मसौदा नियम, जिसे डगशाई छावनी बोर्ड छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 204 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 350 की उप-धारा (1) के अनुसार, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है और नोटिस दिया गया है उक्त मसौदा नियमों पर छावनी बोर्ड द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा।

2. उपरोक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर डगशाई छावनी बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

3. डगशाई छावनी में बोरवेलों की खुदाई और उपयोग के लिए विस्तृत मसौदा नियम डगशाई छावनी बोर्ड की वेबसाइट https://dagshai.cantt.gov.in/ पर अपलोड कर दिए गए हैं और आम जनता के अवलोकन के लिए कार्यालय नोटिस बोर्ड पर भी डाल दिए गए हैं।

4. कोई भी व्यक्ति जो बोरवेल की खुदाई और उपयोग के लिए मसौदा नियमों के संबंध में आपत्तियां/सुझाव दर्ज करना चाहता है, वह इसे छावनी बोर्ड डगशाई के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से या ईमेल ceodags-stats@nic.in द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि या उसकी समाप्ति से पहले जमा कर सकता है।

प्रिया

मुख्य अधिशासी अधिकारी, दगशाई

(प्रिया रानी)

प्रतिलिपि:-

1.	मार्किट मेनेजर, इंडियन एक्सप्रेस अखबार चंडीगढ़	:	छावनी बोर्ड डगशाई की एक सार्वजनिक सूचना इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि कृपया इसे अपने अगले संस्करण (स्थानीय समाचार पत्र) में डीएवीपी दरों पर न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित करें और भुगतान के लिए अपना बिल अग्रेषित करें।
2.	संपादक, अमर उजाला सोलन, जिला सोलन (हि. प्र.)	:	-कृते-
3.	कंप्यूटर प्रोग्रामर छावनी परिषद दगशाई	:	कैंट बोर्ड डगशाई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
4.	समस्त सूचना पट्ट छावनी परिषद दगशाई		